

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 806/2023
अनवान : -

1. अमरसिंह पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. माड़ी देवी पत्नी निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. रामेती पुत्री निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. गुडी उर्फ कृष्णा पुत्री निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

5. रामदयाल पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. ताराचन्द पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
7. बनवारीलाल पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 134/139 की कुल 4.7050 हैक्ट भूमि मृतक नारायण पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नारायण पुत्र मानाराम के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है नारायण पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है नारायण पुत्र मानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 व 5 ता 7 है जो नारायण पुत्र मानाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)



अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075-78 रोही मौजा मेघाना खाता संख्या 234 प्रदर्श-1, जमाबंदी सम्वत 2075-78 रोही मौजा मेघाना खाता संख्या 134 प्रदर्श-2, मृत्यु प्रमाण पत्र निराणाराम प्रदर्श-3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श-4 आदि प्रदर्शित करवाये। अधिवक्ता वादी ने तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 को तर्क अंकित किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता नारायण पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 का उक्त वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा है प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 को दिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 134/139 की कुल 4.7050 हैक्ट भूमि मृतक नारायण पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता नारायण पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के पक्ष में


28

त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा नारायण पुत्र मानाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के तर्क अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 134/139 की कुल 4.7050 हैक्ट भूमि मृतक नारायण पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक नारायण पुत्र मानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 806/2023
अनवान : -

1. अमरसिंह पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. माड़ी देवी पत्नी निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. रामेती पुत्री निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. गुडी उर्फ कृष्णा पुत्री निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण


5. रामदयाल पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. ताराचन्द पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।
7. बनवारीलाल पुत्र निराणाराम जाति खाती निवासी मेघाना तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 806 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 134/139 की कुल 4.7050 हैक्ट भूमि मृतक नारायण पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक नारायण पुत्र मानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर